

फर्द अहकाम


(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कपासन  
बनाम

रतनलाल पिता शंकरलाल शर्मा निवासी बनाकियाकलां तहसील कपासन वगैरा

प्रकरण संख्या 49/2016 (नि.पं.)

| तारीख<br>हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नम्बर व<br>तारीख<br>अहकाम जो<br>इस हुक्म की<br>तामील में<br>जारी हुए |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 06.06.24       | <p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित। रुक-रुक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। पुनः न्यायालय समय में रुक-रुक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष तथा उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का अभिलेख मय आदेश की प्रति के प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>  |                                                                      |